प्रेषक,

आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल
गोण्डा।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः सी0बी0एस0ई0/ /2012–13 दिनांकः 18.8.2012

विषयः– **नारायण पब्लिक स्कूल निकट– आवास विकास कालोनी, गोण्डा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।**

महोदय,

संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मण्डल, शिक्षा भवन– फैजाबाद द्वारा प्रेषित नारायण पब्लिक स्कूल निकट– आवास विकास कालोनी, गोण्डा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या– 1916/15–7–09–1(299)/2007, दिनांक 14 जुलाई 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की संस्तुति एवंसम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिंए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्त प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
4. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
5. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायेंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।
8. प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलाज में सम्मिलित किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक अन्तर्गत दिये परिशिष्ट–3 के क्रम 5,6 जो निम्नवत् हैः–

1. शिक्षक/कर्मचारी की अर्हता–

विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि यथास्थिति कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सार्टीफिकेट एक्जामनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन में वर्णित हो। मुख्यतः कक्षा–12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा–10 तक के प्रधानाध्यापक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा–11 व 12 पढ़ाने वाले

——2

अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होंगे जिसमें शिक्षण कार्य किया जाना हो। कक्षा 6–10 में पढ़ाने वाले अध्यापक सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा 1–5 तक शिक्षण के लिये हाईस्कूल जे0टी0सी0, बी0टी0सी0, एच0टी0सी0 तथा इण्टर के साथ सी0टी0, जे0टी0सी, बी0टी0सी0 या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

2. वेतन तथा सेवा शर्ते–

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के लिये सेवा शर्ते बनायी जायेंगी जिनमें परिवीक्षा काल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

सेवा शर्ते– समता, समानता, धर्म, जाति, भाषा, लिंग से रहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए।

विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते देने होंगे जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय–समय पर दिये जाते हैं, किन्तु किसी कारण वश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिये। उपर्युक्त शतो। के अतिरिक्त विद्यालय अन्य शर्तो को भी पूरा करेंगें।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो शासनादेश संख्याः 1916/15–7–09–01 (299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(मधुसूदन रायजादा)
आयुक्त
देवीपाटन मण्डल– गोण्डा

पृ0सं0: सी0बी0एस0ई0/ 1155–61 /2012–13 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव (मा0शि0) उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, गोण्डा।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मण्डल, शिक्षा भवन– फैजाबाद को विद्यालय के मूल प्रस्ताव/पत्रावली के साथ प्रेषित।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, नारायण पब्लिक स्कूल निकट– आवास विकास कालोनी, गोण्डा।

(मधुसूदन रायजादा)
आयुक्त
देवीपाटन मण्डल– गोण्डा

NARAYANA PUBLIC SCHOOL MANAGER GONDA-UP

NARAYANA PUBLIC SCHOOL PRINCIPAL GONDA